

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

‘जल भवन’ बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल enceph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 322स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 27/06/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 अनुसार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की प्रावीण्य सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप दिनांक 26 जून 2023 के तहत 13 प्रतिशत होल्ड पर रखा गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक एफ-3/2/0014/2023/GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 14 जून 2024 के तारतम्य में प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की प्रावीण्य सूची के उक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को निम्नानुसार आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(04) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

स.क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4
1	OBC/NIL/OPEN/MERIT/19	श्री संदीप मंगरोलिया आत्मज श्री जगदीश मांगरोलिया निवासी- सी एस आज़ाद मार्ग, राणापुर जिला- झाबुआ, पिन 457993 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सेंधवा जिला-बडवानी
2	OBC/NIL/OPEN/MERIT/20	श्री रुचिर पाटीदार आत्मज श्री रमेश पाटीदार, निवासी- एमआईजी IV/ 58, गांधीनगर, कृषि उपज मंडी के पास मन्दसौर, जिला-मंदसौर पिन- 458001 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पेटलावद जिला-झाबुआ
3	OBC/NIL/OPEN/MERIT/21	मोहम्मद इलियास कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल अज़ीज़ कुरैशी निवासी- महिंद्रा ऑयल मिल्स के पीछे, शुक्रवारी तोरी, सागर जिला-सागर पिन- 470002 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सिवनी मालवा जिला-नर्मदापुरम
4	OBC/NIL/OPEN/MERIT/22	श्री तिलेंद्र भाकरे आत्मज श्री गणपत राव भाकरे निवासी-डब्ल्यूएन 09, बीसापुर पोस्ट- खमरिया, कटंगी जिला-बालाघाट पिन- 481445 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड नैनपुर जिला-मण्डला

स.क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4
5	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/23	श्री अतुल पाटीदार आत्मज श्री घनश्याम पाटीदार निवासी-378, बैरिया मुहल्ला सुसारी ,कुक्षी जिला- धार पिन-454331 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड थान्दला जिला-झाबुआ
6	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/24	श्री विशाल यादव आत्मज श्री सुरेश यादव निवासी-ग्राम धनोरा , पोस्ट बोर्ले ,तहसील- बड़वानी जिला-बड़वानी पिन-451551 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कुक्षी जिला-सरदारपुर
7	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/25	श्री हर्ष हरगांवकर आत्मज श्री नरेंद्र हरगांवकर निवासी-सी 1 ,आकाशवाणी विहार ,रेजीडेंसी क्षेत्र, इंदौर जिला -इंदौर पिन-452001 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कसरावद जिला-खरगोन
8	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/26	श्री शुभम रजक आत्मज श्री सुनील रजक निवासी-2014, अनमोल गोल्डन डुप्लेक्स के पास, त्रिमूर्ति नगर ,दमोह नाका जबलपुर, जिला- जबलपुर पिन- 482002 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड रीवा जिला-रीवा
9	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/27	श्री कार्तिक यादव आत्मज श्री संतोष यादव निवासी-39, मुख्य सड़क ग्राम सुरवा बमनाला ,भीकनगांव,जिला- खरगोन पिन-451331 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड हरदा जिला-हरदा
10	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/28	श्री नितिन वर्मा आत्मज श्री कैलाश चंद्र वर्मा निवासी- 1204/ई पुष्पक नगर,अधारताल,जबलपुर जिला-जबलपुर पिन-482004 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड रायपुरकचुलियान जिला-रीवा
11	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/29	श्री अशोक धाकड़ आत्मज श्री कंवर लाल धाकड़ निवासी- वार्ड क्रमांक 03, सोमवारिया बाल्दी, खिलचीपुर जिला- राजगढ़ पिन- 465679 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड हरदा जिला-हरदा
12	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/30	श्री शुभम शिवहरे आत्मज श्री भोले शिवहरे निवासी- 34/170, झर्रा टिकुरिया, वनपाल वार्ड ,कटनी जिला-कटनी पिन-483501 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड ब्यौहारी जिला-शहडोल
13	OBC/NIL/OPEN/ MERIT/31	श्री प्रभात धाकड़ आत्मज श्री मनोहर धाकड़ ,निवासी-151 आदर्श नगर,एमबीईबी कार्यालय के पास ,माकडोन ,तराना जिला-उज्जैन पिन- 456668 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड अम्बाह जिला-मुरैना
14	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/10	सुश्री दिव्या पटेल पिता/पति श्री देवेन्द्र पटेल,निवासी- डॉक्टर पंसारी के बगल में ,सिविल वार्ड नंबर -4 ,दमोह जिला-दमोह पिन-470661 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़

27-6-2024

स.क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4
15	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/11	सुश्री रिया गुप्ता पिता/पति श्री रामकुमार गुप्ता ,कालेखा बीड़ी शाखा के सामने ,केशवगंज वार्ड , सागर जिला- सागर पिन-470002 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड नर्मदापुरम जिला-नर्मदापुरम
16	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/12	सुश्री काजल यादव पिता/पति सुशील यादव निवासी-280, वार्ड नंबर-25, बरारीपुरा सबलेवाड़ी, छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा पिन-480001 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड गाडरवाडा जिला- नरसिंहपुर
17	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/13	सुश्री प्राची सिंह पिता/पति मोहन सिंह निवासी- एलआईजी 1/22ए/9, इंदिरानगर ,बारा ,हुजूर जिला- रीवा पिन-486001 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड त्याँथर जिला-मउगंज
18	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/14	सुश्री शिवानी श्रीवास्त्री पिता/पति रघुवीर निवासी- सी वी रमन वार्ड, रिलायंस टावर के पास ,सिवनी जिला-सिवनी पिन-480661 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बारासिवनी जिला-बालाघाट
19	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/15	सुश्री अपर्णा यादव पिता/पति अक्षय यादवनिवासी- प्रजा नगर न्यू के सामने ,पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, विश्वकर्मा सीमेंट की दुकान के पीछे, मंडला जिला-मंडला पिन-481661 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बुढार जिला-शहडोल
20	OBC/NIL/FEMAL E/MERIT/16	सुश्री मधुबाला प्रजापत पिता/पति कंवरलाल प्रजापत निवासी- 68, बगिया , मन्दसौर जिला- मंदसौर पिन-458667 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड नर्मदापुरम जिला-नर्मदापुरम
21	OBC/LD/OPEN/ MERIT/02	सुश्री प्रियंका सोनी पिता/पति दिनेश कुमार सोनी, निवास- एच नंबर 43 ,सेक्टर शांति निकेतन, गोविंदपुरा भोपाल जिला-भोपाल 462023 मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक ज्ञाप क्रमांक एफ-3/2/0014/2023/GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 14 जून 2024 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 2 यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में भविष्य में उद्भूत होने वाले प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निर्णय दिये जाने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 3 अभिलेख सत्यापन में संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 अन्तर्गत आवेदन की अंतिम तिथी दिनांक 23-08-2022 से 03 वर्ष से अधिक पुराना (अर्थात् दिनांक 24-08-2019 के पूर्व जारी) होने की स्थिति में वर्तमान में जारी आय प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन-क्रिमिलेयर) का हस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमिलेयर) का डिजीटल प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

- 4 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- 5 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 व मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टापेंड के रूप में देय होगा। परीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
- 6 उक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम, 1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 7 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 8 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 9 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 10 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 11 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 12 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 13 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 14 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

[Handwritten signature]
27.6.2019

- 15 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 16 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003/नियम-चार भोपाल दिनांक 13-04-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना, 2005 लागू होगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(के.के. सोनगरिया)

प्रमुख अभियंता
भोपाल, दिनांक 27.06.2024

पृष्ठा.क्र. 6138 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-एफ 1/1/1/0001/2023/1/34, दिनांक 25.06.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5 नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग इन्दौर/खरगोन/ग्वालियर/जबलपुर/नर्मदापुरम/भोपाल/मुरैना/रीवा/शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 9 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल इन्दौर/खरगोन/ग्वालियर/जबलपुर/नर्मदापुरम/भोपाल/मुरैना/रीवा/शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 10 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड खरगोन/झाबुआ/टीकमगढ़/नरसिंहपुर/नर्मदापुरम/बडवानी/बालाघाट/मउगंज/मण्डला/मुरैना/रायसेन/रीवा/शहडोल/सरदारपुर/हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय खरगोन/झाबुआ/टीकमगढ़/नरसिंहपुर/नर्मदापुरम/बडवानी/बालाघाट/मउगंज/मण्डला/मुरैना/रायसेन/रीवा/शहडोल/सरदारपुर/हरदा की ओर सूचनार्थ।
- 12 सहायक यंत्री, लो0स्वा0यां0 उपखण्ड अम्बाह/औबेदुल्लागंज/कसरावद/कुक्षी/गाडरवाडा/टीकमगढ़/त्यौंथर/थान्दला/नर्मदापुरम/नैनपुर/पेटलावद/बारासिवनी/बुढार/ब्यौहारी/रायपुरकरचुलियान/रीवा/सिवनी मालवा/संधवा/हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13 संबंधित श्री/सुश्री.....
ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 14 आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

‘जल भवन’ बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल eneph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 321/स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 27/06/2024

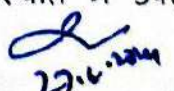
//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 अनुसार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की प्रावीण्य सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप दिनांक 26 जून 2023 के तहत 13 प्रतिशत होल्ड पर रखा गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक एफ-3/2/0014/2023/GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 14 जून 2024 के तारतम्य में प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की प्रावीण्य सूची के उक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को निम्नानुसार आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर कॉलम-(04) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

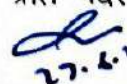
स. क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4
1	OBC/NIL/ OPEN/MERIT/09	श्री उदित वर्मा आत्मज श्री महेश वर्मा निवासी-65, नयापुरा गोगावां, जिला- खरगोन 451335 मध्यप्रदेश	मैकेनिकल उपखण्ड उज्जैन जिला-उज्जैन
2	OBC/NIL/ OPEN/MERIT/10	श्री निखिल रजक आत्मज श्री चन्द्र शेखर रजक, निवासी- मकान नंबर 16, नया वाई नंबर 14 पुराने एसपी बंगले के पीछे दुर्गा कॉलोनी, पुराना वाई नंबर 11, शहडोल, जिला- शहडोल पिन- 484001 मध्यप्रदेश	मैकेनिकल उपखण्ड उमरिया जिला-उमरिया
3	OBC/NIL/ OPEN/MERIT/11	श्री रवि कर्ण आत्मज श्री खेत सिंह, निवासी- बी 62, साईनाथ कॉलोनी, महाबली नगर, कोलार रोड जिला-भोपाल पिन-462042	मैकेनिकल उपखण्ड राजगढ़ जिला-राजगढ़
4	OBC/NIL/ OPEN/MERIT/12	श्री बदरी लाल माली आत्मज श्री शिव नारायण निवासी- वाई नंबर-13, ग्राम-खानखेड़ी, पोस्ट-कुंडला, तहसील- मनासा जिला-नीमच पिन-458113 मध्यप्रदेश	मैकेनिकल उपखण्ड मन्दसौर जिला-मन्दसौर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक जाप क्रमांक एफ-3/2/0014/2023/GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 14 जून 2024 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 2 यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में भविष्य में उद्भूत होने वाले प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निर्णय दिये जाने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।


27.6.24

- 3 अभिलेख सत्यापन में संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 अन्तर्गत आवेदन की अंतिम तिथी दिनांक 23-08-2022 से 03 वर्ष से अधिक पुराना (अर्थात् दिनांक 24-08-2019 के पूर्व जारी) होने की स्थिति में वर्तमान में जारी आय प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमिलेयर) का हस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमिलेयर) का डिजीटल प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 4 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूली योग्य होगी।
- 5 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 व मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टापेंड के रूप में देय होगा। परीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
- 6 उक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम, 1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 7 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 8 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 9 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 10 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 11 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।


27.6.24

- 12 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 13 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 14 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 15 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 16 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003/नियम-चार भोपाल दिनांक 13-04-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना, 2005 लागू होगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(के.के. सोनगरिया)

प्रमुख अभियंता
भोपाल, दिनांक 27.6.2024

पृष्ठा. 6137
क्र.....स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-एफ 1/1/1/0001/2023/1/34, दिनांक 25.06.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5 नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग उज्जैन/रीवा/भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 9 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मैकेनिकल खण्ड उज्जैन/रीवा/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 10 जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उज्जैन/रीवा/भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 12 सहायक यंत्री, लो0स्वा0यां0 मैकेनिकल उपखण्ड उज्जैन/उमरिया/राजगढ़/मन्दसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13 संबंधित श्री/सुश्री..... ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 14 आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रमुख अभियंता